

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
---------------	-----------------------------------

28/4/26 पत्रा. पैवा । वादी ने धारा 212 RT Act के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा मांगी है कि वट्ट बट्टवारे से पूर्व अपने दिस्से की आराजी का खैयान ना करे।

वादीगण किसी प्राबेदार को अपनी 3 दिस्से की आराजी का खैयान करने से नही रोक सकता । न ही प्रथम दृष्टया मामला वादी के टक में है न ही सुविद्या का संतुलन ।

अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/4/26 को सुनाया गया ।



Che  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी